

प्रकरण संख्या :- 10/26
उनवान :- नन्दकिशोर बनाम सरकार
निर्णय दिनांक :- 07.04.2026

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना
जिला झालावाड़

पीठासीन अधिकारी:- पुष्कर कुमार मित्तल (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :- 10/26
दायर दिनांक :- 10.02.2026
निर्णय दिनांक:- 07.04.2026

उनवान

1. नन्दकिशोर पिता गिरधारी जाति लोधा निवासी ठीकरिया तह0 मनोहरथाना

..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तह0 मनोहरथाना
2. एस0बी0आई0 बैंक शाखा सरेडी तह0 मनोहरथाना

..... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- 1 श्री घनश्याम मीणा नायब तहसीलदार, सरकार पैरोकार
2 श्री अशोक कुमार लववंशी, अधिवक्ता प्रार्थी



:- निर्णय :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है, प्रार्थी नन्दकिशोर पिता गिरधारी जाति लोधा निवासी ठीकरिया ने जरिए अधिवक्ता दिनांक 10.02.2026 को उपस्थित न्यायालय होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि ग्राम ठीकरिया तहसील मनोहरथाना की खाता संख्या नया 88 (पुराना 91) की कुल किता 07 की कुल आराजी 0.8094 हैक्टेयर, ग्राम जैतपुरा पटवार हल्का ठीकरिया के खाता संख्या नया 55 पुरानी 58 की कुल किता 04 की 0.8336 है0 तथा ग्राम जैतपुरा पटवार हल्का ठीकरिया के खाता संख्या नया 54 पुरानी 56 के खसरा संख्या 6 रकबा 0.4775 है0 आराजी प्रार्थी एवं अन्य सह-खातेदारान के शामिलती खाते दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी संख्या सम्वत् 2071-2074 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

प्रार्थना-पत्र में आगे उल्लेख किया गया है कि उक्त वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम नन्दलाल दर्ज हो रहा है, जो लिपिकीय त्रुटी से दर्ज हुआ है जबकि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम नन्दकिशोर है। जैसा कि ग्राम बोरदा के खाता संख्या नया 40 पुरानी 39 की जमाबन्दी व ग्राम रामपुरिया के खाता


उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)


प्रकरण संख्या :- 10/26
उनवान :- नन्दकिशोर बनाम सरकार
निर्णय दिनांक :- 07.04.2026

संख्या नया 58 पुरानी 208 की जमाबंदी एवं अन्य सरकारी दस्तावेजों आधार कार्ड, राशन कार्ड, आदि में प्रमाणित है।

प्रार्थी ने तहसीलदार मनोहरथाना को नाम संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र दिया था, किन्तु कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई। अतः प्रार्थी ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि उक्त वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम नन्दलाल के स्थान पर नन्दकिशोर संशोधित किया जाए और राजस्व अभिलेखों में इसका संशोधन प्रभावी रूप से अमल में लाया जाए। साथ ही न्यायालय से प्रार्थी को आवश्यक व्यय, वाद के खर्च और अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान करने की भी प्रार्थना की गई है। प्रार्थी ने इस प्रार्थना-पत्र के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

इस प्रार्थना-पत्र को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर मनोहरथाना में प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थना-पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गौरपूर्वक अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। बाद अवलोकन एवं मनन प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित ग्राम ठीकरिया व जेतपुरा की आराजी में प्रार्थी का नाम " नन्दलाल " के स्थान पर " नन्दकिशोर " दर्ज किये जाने एवं राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते हैं। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।


(पुष्कर कुमार मित्तल)
सहायक कलेक्टर एवं,
उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना

